



ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के ध्यान देने योग्य बिन्दु

मनरेगा अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

काम के लिए आवेदन

- जॉब कार्ड धारि काम के लिए कभी भी आवेदन करने के हकदार है। वे अपना आवेदन ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक कार्यालय में दे सकते हैं।
- श्रमिकों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम दिया जाना होगा।
- जब आप आवेदन करें तो हस्ताक्षर तथा दिनांक युक्त रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

श्रमिकों के अधिकार

- सभी श्रमिक अर्धसूचित मजदूरी दर के हकदार हैं।
- पुरुष तथा महिलाओं को समान भुगतान होना है।
- मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह में या अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए।
- मजदूरी श्रमिकों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- यदि कार्य स्थल 5 कि.मी. से ज्यादा दूर है तो यात्रा एवं निर्वाह भत्ता देया होगा।
- (न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत)।

जॉब कार्ड के बारे में ध्यान देने योग्य बातें

- जॉब कार्ड (फोटो सहित) निःशुल्क है।
- हर परिवार पृथक जॉब कार्ड का हकदार है।
- जॉब कार्ड श्रमिकों के पास होना चाहिये। किसी को इसे लेने का अधिकार नहीं है।
- सभी प्रविष्टियां श्रमिकों के सामने की जानी अनिवार्य है।

- यदि जॉब कार्ड खो जाता है, तो ग्राम पंचायत में डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।

- पस शिकायत दर्ज करया जा सकता है।
- कार्यक्रम अधिकारी शिकायत दर्ज कर जांचोपरत कार्रवाई करेंगे।

मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि पर अनुदान योग्यता

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण
- मवेशियों के लिए पक्का फर्श, नाद एवं यूरिन टैंक का निर्माण
- तल जैच खाद, संजीवक अथवा अमृतपानी
- एजोला एक पूरक पशुआहार
- डू बर्मी कम्पोस्ट
- मैडेप कम्पोस्ट
- खेत-पोखर
- मल्य पालन, वृक्षारोपण सहित खेत-पोखर
- निजी पौधशाला एवं
- वृक्ष संरक्षण योजना।

मनरेगा अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर अनुदान योग्यता

- जल संरक्षण एवं जल संचय
- सूखारोपण, वनरोपण और वृक्षारोपण
- सिंचाई नहरें, सूख और लघु सिंचाई
- पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, तलाबों का शुद्धिकरण
- भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण
- ग्रामीण सम्यर्क पथ, ग्रामों की आंतरिक गलियों का पक्कीकरण
- ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण गजीव गाँधी सेवा केन्द्र का निर्माण
- मौसमी जल निकायों में मल्य पालन जैसे मल्य संबंधी संकर्म
- विद्यालय शौचालय इकाई
- डेट डेस और तल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वतच्छता संबंधित संकर्म
- आंगनबाड़ी एवं खेल के मैदान का निर्माण।

मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना का वृहत क्रियान्वयन

श्रमिकों को उनके मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में सचन कार्य किये जाने का निर्देश सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिया गया है।

योजना के प्रावधान :

- सामाजिक वानिकी की एक यूनिट में 200 फलदार एवं लकड़ी के पौधे अथवा 1000 बंस पौधे लगाये जाने का प्रावधान है तथा प्रत्येक यूनिट हेतु दो वन पोषकों को सम्बद्ध किया जाता है।
- 1 यूनिट में 100 वृक्ष बड़ी प्रजाति के तथा 100 छोटी प्रजाति फलदार वृक्ष लगाये जा रहे हैं।
- योजना अंतर्गत वृक्षारोपण सार्वजनिक भूमि यथा सभी स्कूल, पंचायत भवन, ग्राम सभा स्थल, सभी नदी के किनारे, बाढ़ वाहन के किनारे तथा PMGSY/REO/Rural सड़क के किनारे किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त सभी बी0पी0एल0 धारी लघु एवं सीमांत किसान/अनुसूचित जाति/जनजाति, इन्दिरा आवास लाभान्वित परिवारों के निजी जमीन पर भी पौधारोपण का कार्य किया जा सकता है।

- सामाजिक वानिकी के सभी योजनाओं को कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु मनरेगा अंतर्गत पहले ग्राम सभा में योजना को पारित करकर पंचायत समिति के अनुमोदीनपरीत जिला परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अगर किसी स्तर पर परियोजना का अनुमोदन 15 दिनों तक प्राप्त न हो तो उसे अनुमोदित मानकर क्रियान्वयन शुरू करया जा सकता है।

योजनांतर्गत नये प्रावधान :

- प्रत्येक पौधे को उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु गैबियन की व्यवस्था।
- सिंचाई हेतु चापाकल का प्रावधान।
- मिट्टी की नमी बनाये रखने हेतु कुल 200 पौधों के लिये ढकन सहित घड़े की नमी व्यवस्था।
- वन पोषकों को पानी डोने को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ट्रैली का प्रावधान।
- खाद एवं कीटनाशक का प्रावधान।
- बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मिट्टी का माउंड बना कर पौधारोपण करने का प्रावधान।

सहायता तथा टिकाव

- किसी समस्या को स्थिति में पहले ग्राम पंचायत तत्परचात ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के

- आप 'हेल्पलाइन' (18001208001) से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया :

- निजी हित को योजनाओं के लिये पूरे वर्ष आवेदन दिया जा सकता है।
- आवेदन को लाभार्थियों के वर्ग के प्राथमिकता के अनुसार सभी लाभार्थियों की सूची को पंचायत द्वारा अद्यतन किया जायेगा तथा उक्त सूची के प्राथमिकता क्रमानुसार कार्य करया जायेगा।
- आवेदक को उन्ही पंचायत का निवासी तथा पंचायत द्वारा निर्गत जॉब कार्डधारि होने के साथ-साथ उन्हे योजना अंतर्गत स्वयं काम करना आवश्यक है।

वनपोषक का चयन, कर्तव्य एवं लाभ :

- वनपोषकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा।
- वनपोषकों के चयन में बुद्ध, विधवा एवं विकलांगों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- पौधों को पाँच वर्ष तक पानी पटना, खर-पतवार हटाना, उसकी रक्षा करना इत्यादि वनपोषकों का कर्तव्य होगा।

- प्रत्येक वन पोषक को प्रत्येक माह पौधों की देखभाल एवं रख-रखाव करने हेतु 7 रुपये प्रति पौधे की दर से 1400/- प्रति माह लगातार 5 वर्षों तक दी जायेगी।
- वृक्ष संरक्षण योजना के तहत पाँच साल बाद उन्ही परिवार को 50-50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत वृक्ष पट्टा के रूप में दिया जायेगा जिसका लाभ उन्हे मिलेगा।

मनरेगा अंतर्गत e-FMS (एलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेन्ट सिस्टम) :

- मनरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री की राशि का भुगतान e-FMS के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में की जा रही है जिससे बिचौलियों की भूमिका को और सख्ती से नकारा जा सकता है।
- इस माध्यम से भुगतान को सुगम करने हेतु श्रमिकों / आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खाता संख्या को प्रविष्टि नरेगासॉफ्ट पर की जा रही है।
- इसके लिये यह आवश्यक है कि लाभुकों का खाता बैंक में हो। अतः लाभुकगण अपना-अपना खाता बैंक में खुलवा लें।

